न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर०ए०एस०

ई०सी०एक्ट प्रकरण सं० 13/2024

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री होटल तिरंगा ढाबा, पतली रोड, सादुलशहर

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.0 किलोग्राम गैस को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी होटल तिरंगा ढाबा अनुपस्थित।

निर्णय दिनांकः 22.08.2025

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि होटल तिरंगा ढाबा, पतली रोड, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर पर घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 25.09.2024 को उक्त दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त मौके पर ढाबा संचालक फरार हो गया तथा हस्ताक्षर करने से मना किया। दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/चाय/नमकीन/भोजन इत्यादि बनाने में किया जाता है। मौके पर 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.0 किलोग्राम गैस पाई गई। मौके पर पाए गए 2 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाए गए 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.0 किलोग्राम गैस बतौर वजह सबूत जब्त किये गए। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। **होटल तिरंगा ढाबा, सादुलशहर** की दुकान पर पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.0 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **पुलकित गोयल पुत्र श्री विजय गोयल जाति अग्रवाल निवासी भगत सिंह कॉलोनी, सादुलशहर, सादुलशहर गैंस सर्विस सादुलशहर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। **होटल तिरंगा, ढाबा, सादुलशहर** के द्वारा अवैध तरीके से 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 6.0 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **होटल तिरंगा ढाबा** के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर मय 6.0 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलव किया गया।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के नोटिस की तामील पुलिस थाना सादुलशहर की रिपोर्ट अनुसार नोटिस की तामील करवानी चाही तो होटल तिरंगा ढाबा पतली के मालिक व स्टाफ ने कहा कि हमारा इससे कोई लेना–देना नहीं है व हस्ताक्षर करने से मना किया, जिस पर गुलाब सिंह नाम के व्यक्ति से नोटिस की तामील करवाई गई। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी होटल तिरंगा, ढाबा, पतली रोड, सादुलशहर के मालिक ने नोटिस लेने से इनकार किया। अप्रार्थी आज दिनांक तक उपस्थित नहीं है।

राजकीय पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि होटल तिरंगा ढाबा, पतली रोड, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर पर घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 25.09.2024 को उक्त दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त मौके पर ढाबा संचालक फरार हो गया तथा हस्ताक्षर करने से मना किया। दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/चाय/नमकीन/भोजन इत्यादि बनाने में किया जाता है। मौके पर 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.0 किलोग्राम गैस पाई गई। मौके पर पाए गए 2 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाए गए 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.0 किलोग्राम गैस बतौर वजह सबूत जब्त किये गए। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। **होटल तिरंगा ढाबा, सादुलशहर** की दुकान पर पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.0 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **पुलकित गोयल पुत्र श्री विजय गोयल जाति अग्रवाल निवासी भगत सिंह कॉलोनी, सादुलशहर, सादुलशहर गैस सर्विस सादुलशहर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। **होटल तिरंगा, ढाबा, सादुलशहर** के द्वारा अवैध तरीके से 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 6.0 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **होटल तिरंगा ढाबा** के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर मय 6.0 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश किया जाए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि होटल तिरंगा ढाबा, पतली रोड, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर पर घरेलू गैस का दुरूपयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 25.09.2024 को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त दुकान पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त मौके पर ढाबा संचालक फरार हो गया तथा हस्ताक्षर करने से मना किया। दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान की जांच में पाया कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग मिठाई/चाय/नमकीन/भोजन इत्यादि बनाने में किया जाता है। मौके पर 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.0 किलोग्राम गैस पाई गई। मौके पर पाए गए 2 घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन गैस कंपनी के हैं। मौके पर पाए गए 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 6.0 किलोग्राम गैस बतौर वजह सबूत जब्त किये गए। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। **होटल तिरंगा ढाबा, सादुलशहर** की दुकान पर पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.0 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किया गया एवं **पुलकित गोयल पुत्र श्री विजय गोयल जाति अग्रवाल निवासी भगत सिंह कॉलोनी, सादुलशहर, सादुलशहर गैंस सर्विस सादुलशहर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। **होटल तिरंगा, ढाबा, सादुलशहर** के द्वारा अवैध तरीके से 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 6.0 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **होटल तिरंगा ढाबा** के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 6.0 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner